

## विषय - सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
1. विधिक (कानूनी ) अपेक्षाएँ	3
1.1 शाखा लाइसेंसीकरण पर सामान्य नीति	3
1.2 नई शाखाएँ खोलने हेतु शर्तें	4
2. शाखाएँ /क्षेत्रीय कार्यालय खोलना	4
2.1 ग्रामीण/अर्ध शहरी/शहरी और महानगरीय केन्द्रों में शाखाएं	4
2.2 सेवा शाखा	4
2.3 क्षेत्रीय कार्यालय	5
2.4 प्राधिकार और लाइसेंसों की वैधता	5
2.5 राज्य केन्द्र सरकार के कारोबार करने हेतु अपेक्षाएं	6
3 शाखाओं का स्थान बदलना	6
3.1 ग्रामीण केन्द्रों पर	6
3.2 अर्ध शहरी केन्द्रों पर	6
3.3 शहरी / महानगरीय केन्द्रों पर	7
3.4 प्रक्रियागत सरलीकरण	7
4. पूर्ण शाखाओं का अनुषंगी/चलते-फिरते कार्यालयों में परिवर्तन	7
4.1 अनुषंगी (सेटलाइट) कार्यालय	7
4.2 चलते-फिरते कार्यालय	8
5. विस्तार काउन्टर खोलना	8
6. विस्तार काउन्टरों का पूर्ण शाखाओं के स्तर में दर्जा बढ़ाना	9
7. स्वचालित टैलर मशीन (एटीएम)	10
8. केन्द्रों का वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण	10
9. घाटे में चल रही शाखाओं का विलय	10
10. शाखा बैंकिंग के संबंध में विवरणियाँ प्रस्तुत करना	10
अनुबंध I	12-15
अनुबंध II	16-21
अनुबंध III	21-45
परिशिष्ट	46-47

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शाखा लाइसेंसिकरण पर मास्टर परिपत्र

### 1. विधिक (कानूनी) अपेक्षाएँ

बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने का कार्य बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के उपबंधों से शासित है। इन उपबंधों के अनुसार, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना भारत में अथवा विदेश में कारोबार का नया स्थान नहीं खोल सकते हैं और न ही कारोबार के मौजूदा स्थान को उसी शहर, कस्बे या गांव को छोड़कर अन्यत्र लेजा सकते हैं। इस प्रकार शाखाएं / कार्यालय खोलने से पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन/लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।

#### 1.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में शाखा लाइसेंसिकरण संबंधी सामान्य नीति

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मंडल से अपेक्षा की जाती है कि वे वार्षिक कारोबार योजना एवं नये केन्द्रों पर (शाखाएं खोलने के लिए) कारोबार की संभावनाओं, प्रस्तावित शाखाओं की लाभप्रदता, जिन मामलों में अतिरिक्त स्टाफ पहचाना गया हो वहां उसके पुनर्नियोजन और बैंक के ग्राहकों को तत्परता से और कम खर्चीली ग्राहक सेवा प्रदान करने जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए नयी शाखाएं खोलने के लिए नीति और कार्य योजना बनाये।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शाखाएं / कार्यालय इत्यादि खोलने / विलयन / स्थान परिवर्तन के लिए आवेदन करने से पहले अपने निदेशक मंडल का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। शाखाएं खोलने / उनका स्थान बदलने और उनके विलय का प्रस्ताव बैंककारी कंपनी नियम, 1949 (अनुबंध- I) के फार्म VI (नियम 12) में निर्धारित आवेदन के साथ नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करने होंगे जिसकी अग्रिम प्रति रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को देनी होगी। रिजर्व बैंक द्वारा उसके क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा गठित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों हेतु अधिकार प्राप्त समितियाँ ऐसे आवेदनों पर कार्रवाई करके अपनी सिफारिशें देंगी। रिजर्व बैंक अधिकारप्राप्त समितियों की सिफारिशों पर विचार करते हुए ऐसे आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई करेगा।

प्रायोजक बैंक के अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, जिला परामर्शदात्री समिति के उप समूह का अनुमोदन भी नई शाखाएं खोलने के लिए आवश्यक नहीं होगा। तथापि, शाखाओं के स्थान परिवर्तन / विलयन / परिवर्तन के लिए जिला परामर्शदात्री समिति के उप समूह के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

## 1.2 नई शाखाएं खोलने की शर्तें

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को नई शाखाएँ खोलने के लिए पात्रता हेतु निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी :-

- i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाए रखने में पिछले दो वर्षों में चूक नहीं की हो ।
- ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने पिछले दो वर्षों में परिचालनगत लाभ अर्जित किया हो, उसकी निवल संपत्ति में सुधार हुआ हो तथा उसका एनपीए अनुपात 8 प्रतिशत से अधिक न हो ।

## 2. शाखाएं /क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

### 2.1 ग्रामीण / अर्ध शहरी / शहरी और महानगरीय केन्द्रों में शाखाएँ

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रस्तावित शाखाओं में कारोबार की संभावनाओं और लाभप्रदता के आधार पर शाखाएं खोलने के लिए ग्रामीण केन्द्रों (दस हजार तक जनसंख्या), अर्ध शहरी केन्द्रों (दस हजार से अधिक किन्तु एक लाख तक जनसंख्या) शहरी केन्द्रों (एक लाख से अधिक किन्तु 10 लाख तक जनसंख्या) और महानगरीय केन्द्रों (10 लाख से अधिक की जनसंख्या) की पहचान कर सकते हैं ।

टिप्पणी : ऊपर उल्लिखित जनसंख्या का मानदंड केन्द्र (राजस्व इकाई आधार होगा, न कि अवस्थिति) की जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार होगा ।

शाखाएं खोलने के लिए बैंकों से प्राप्त अनुरोध पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक मामले के गुण दोष पर विचार करते हुए और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की समग्र वित्तीय स्थिति, उसके प्रबंध-तंत्र की गुणवत्ता, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की दक्षता, लाभप्रदता तथा अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए चयनित स्म से विचार किया जाएगा ।

### 2.2 सेवा शाखा

डाटा प्रोसेसिंग, दस्तावेजों का सत्यापन और उनकी प्रोसेसिंग, चेक बुक, मांग ड्राफ्ट आदि जारी करना जैसे केवल बैंक ऑफिस कार्य तथा उनके बैंकिंग कारोबार से अनुषंगिक कार्य करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सेवा शाखाएं / केन्द्रीय प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीपी) / बैंक ऑफिस स्थापित करने की अनुमति दी जाए । ये शाखाएं ग्राहकों से स्वरु नहीं होगी और इन्हें सामान्य बैंकिंग शाखाओं में परिवर्तित होने की अनुमति नहीं होगी । इन शाखाओं को किसी शाखा के समान मान जाएगा और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरपीसीडी) के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा ।

### 2.3 क्षेत्रीय कार्यालय

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों(दोनों समामेलित तथा एकल) को प्रत्येक 50 शाखाओं के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की अनुमति दी जाएगी। 50 शाखाओं वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिना किसी मध्यवर्ती के प्रधान कार्यालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले, जिसमें भौगोलिक / अन्य परिस्थितियों के कारण एक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कवर की जानेवाली शाखाओं की संख्या के संबंध में उपर्युक्त मानदंड में छूट की आवश्यकता हो, की जांच भारतीय रिजर्व बैंक की राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जायेगी तथा केंद्रीय कार्यालय, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग को विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे।

क्षेत्रीय कार्यालयों को बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति नहीं है। तथापि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसा कार्यालय खोलने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त कर लें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना स्वविवेक से इन कार्यालयों का स्थान परिवर्तन कर सकते हैं अथवा इन्हें बन्द कर सकते हैं / इनका समामेलन कर सकते हैं। लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (ग्राआऋवि) को लाइसेंस शीघ्रताशीघ्र, लेकिन स्थान परिवर्तन की तारीख से 3 माह के भीतर, प्रस्तुत किया जाए ताकि उसमें नया पता जोड़ा जा सके। ऐसे कार्यालयों के विलय के संबंध में कार्यालय के विलय होने के तुरन्त बाद लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक के ग्राआऋवि के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निरसन के लिए सौंप देना चाहिए तथा भारतीय रिजर्व बैंक के सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग को इसकी सूचना देना चाहिए।

### 2.4 प्राधिकारों और लाइसेंसों की वैधता

वर्तमान में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शाखाएँ खोलने के लिए प्राधिकार देने का कार्य उनसे प्राप्त अनुरोध पर (नाबार्ड के माध्यम से) प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर किया जाता है। इन प्राधिकारों का उपयोग शीघ्रता से किया जाना सुनिश्चित करने तथा शाखा की वास्तविक स्थिति से स्थापना करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि प्राधिकार की वैधता की अधिकतम सीमा 2 वर्ष रखी जाए।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक (ग्राआऋवि) के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से कार्यालय / शाखा खोलने से पहले आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करें। ऐसा पाया गया है कि कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लाइसेंस तो ले लेते हैं लेकिन पर्याप्त समय बीत जाने के बाद भी शाखा नहीं खोलते हैं और बार-बार लाइसेंस के पुनः वैधीकरण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय से सम्पर्क करते हैं। अतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कार्यालय / शाखा खोलने हेतु मूलभूत तैयारी के बाद ही लाइसेंस के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से सम्पर्क करें।

साथ ही, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अक्सर उस गली / मार्ग का नाम परिवर्तित होने पर, जहाँ वह शाखा

स्थित है, शाखा के नाम में परिवर्तन के लिए अनुमोदन के लिए सम्पर्क करते हैं। चूंकि शाखा के स्थित होने के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः बैंकों को ऐसे मामले में लाइसेंस में सुधार करने के लिए अनुरोध अथवा सम्पर्क करने की

आवश्यकता नहीं है परन्तु वे भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्राआरूवि) के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और डीएसआइएम, मुम्बई को इस परिवर्तन से अवगत करा दें। तालुक / जिले के नाम में परिवर्तन होने अथवा जिलों के पुनर्गठन अथवा नए राज्यों के बनने से भी परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संबंधित लाइसेंस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है, वे सरकार की अधिसूचना के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और डीएसआइएम, मुम्बई को सूचित करते हुए, नए नाम अपना सकते हैं।

यदि नाम में कोई परिवर्तन इस आशय से किया जाना है कि उसी स्थान पर एक ही नाम की विभिन्न बैंकों की शाखाओं में होने वाले भ्रम को दूर किया जा सके अथवा किन्हीं अन्य न्यायोचित स्थितियों में नाम में परिवर्तन किया जाना हो तो ऐसे अनुरोध भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे जाएँ और ऐसे अनुरोध भेजते समय संबंधित लाइसेंस और अग्रेषण पत्र भी साथ भेजे जाएँ।

## 2.5 राज्य /केन्द्रीय सरकार के कारोबार करने हेतु अपेक्षाएँ

यदि कोई शाखा सरकारी कारोबार करना चाहती है तो उसे संबंधित सरकारी प्राधिकरण के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को राज्य सरकार का कारोबार करने के लिए उस क्षेत्राधिकार में आने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक से तथा केन्द्र सरकार का कारोबार करने के संबंध में सरकारी और बैंक लेखा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई से सम्पर्क करना होगा।

## 3. शाखाओं का स्थान बदलना

### 3.1 ग्रामीण केन्द्रों पर

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण केन्द्रों में शाखाओं का स्थान बदलने का कार्य रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना इस शर्त के अधीन कर सकते हैं कि मौजूदा और प्रस्तावित दोनों केन्द्र उसी खंड (ब्लॉक) के अंदर हों और यह भी कि नये स्थान पर ले जाई गई शाखा उन गांवों की जिन्हें मौजूदा शाखा सेवा प्रदान कर रही थी, बैंकिंग आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करगी।

### 3.2 अर्ध शहरी केन्द्रों पर

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना उसी इलाके (लोकेलिटी) / नगरपालिका वार्ड के अंदर अपनी शाखाओं का स्थान बदल सकते हैं । तथापि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थान बदलने के कारण वह इलाका / वार्ड बैंक सेवारहित न हो जाये ।

### 3.3 शहरी / महानगरीय केंद्रों पर

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शहरी / महानगरीय केंद्रों पर स्थित अपनी शाखाओं का भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना उसी इलाके (लोकेलिटी) / नगरपालिका वार्ड के अन्दर ही स्थान बदल सकते हैं ।

अर्ध शहरी / शहरी / महानगरीय केन्द्रों में अवस्थिति / म्युनिसिपल वार्ड से बाहर शाखाओं का स्थान बदलने के संबंध में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग ) से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा ।

### 3.4 प्रक्रियागत सरलीकरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऊपर निर्दिष्ट किए अनुसार (पैरा 3.1 से 3.3 तक) शाखाओं का स्थान परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन वे यह सुनिश्चित करें कि लाइसेंस में शाखा का नया पता सम्मिलित करने के लिए लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (ग्राआऋवि) को शीघ्रतिशीघ्र, लेकिन शाखा के स्थान परिवर्तन की तारीख से तीन माह के अंदर, प्रस्तुत किया जाता है ।

## 4. पूर्ण शाखाओं का अनुषंगी / चलते फिरते कार्यालयों में परिवर्तन

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण केन्द्रों में अपनी हानि वाली वर्तमान शाखाओं को अनुषंगी (सेटेलाइट) /चलते फिरते कार्यालय में परिवर्तित करने की जरूरत पर लागत-लाभ पहलू, विद्यमान ग्राहकों को होनेवाली असुविधाओं, जिला ऋण योजना तैयार करने में कार्यनिष्पादन पर परिवर्तन के प्रभाव तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने जैसी बातों को ध्यान में रखकर स्वयं निर्णय लें । ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिकार प्रदत्त समिति और रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (ग्राआऋवि) की सहमति से अपने सेटेलाइट कार्यालयों को परिपूर्ण शाखाओं में परिवर्तित कर सकते हैं।

### 4.1 अनुषंगी (सेटेलाइट) कार्यालय

सेटेलाइट कार्यालय स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का

पालन करना चाहिए ।

(क) आसपास के गांवों में निश्चित परिसरों में सेटेलाइट कार्यालय स्थापित किये जाने चाहिए और उन्हें केन्द्रीय गांव/खंड मुख्यालयों में स्थित आधार शाखा से नियंत्रित और परिचालित किया जाना चाहिए ।

(ख) प्रत्येक सेटेलाइट कार्यालय को सप्ताह में कुछ निर्दिष्ट दिनों में (कम से कम दो बार) निर्दिष्ट घंटों के लिए कार्य करना चाहिए ।

(ग) सेटेलाइट कार्यालय में सभी प्रकार के बैंकिंग लेनदेन किये जाएं ।

(घ) सेटेलाइट कार्यालय के ग्राहकों को आधार शाखा में ऐसे कार्यालयों के गैर-परिचालन दिनों में कारोबार करने की अनुमति दी जाए ।

(ङ) यद्यपि प्रत्येक अनुषंगी कार्यालय के लिए अलग लेजर/रजिस्टर/स्करोल रखे जा सकते हैं, सेटेलाइट कार्यालय में किये जानेवाले सभी लेनदेन आधार शाखा की खाता बहियों में शामिल किया जाएं।

(च) आधार शाखा से संबद्ध स्टाफ, जिसमें अधिमानतः पर्यवेक्षी स्टाफ का एक सदस्य, कैशियर एवं लिपिक तथा एक सशस्त्र गार्ड शामिल हों, सेटेलाइट कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया जायें ।

(छ) फर्नीचर, मार्गस्थ नकदी के बीमा आदि की पर्याप्त व्यवस्था हो ।

ग्रामीण क्षेत्रों से इतर क्षेत्रों में शाखाओं को सेटेलाइट कार्यालयों में परिवर्तन की अनुमति नहीं है ।

#### 4.2 चलते-फिरते कार्यालय

चलते-फिरते कार्यालयों की योजना की परिकल्पना में पूर्णतः संरक्षित वैन के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना है, जिसमें बैंक के दो या तीन अधिकारियों के बैठने तथा उनके साथ बहियों, नकदी वाली सेफ आदि की व्यवस्था हो । चलता-फिरता यूनिट सेवा के लिए प्रस्तावित स्थानों पर कतिपय निर्दिष्ट दिनों / घंटों के लिए जायेगा । चलता-फिरता कार्यालय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की किसी शाखा के साथ संबद्ध होगा । यह चलता-फिरता कार्यालय को उन ग्रामीण स्थानों में नहीं जाएगा जिनमें सहकारी बैंक सेवा प्रदान कर रहे हैं और जिन स्थानों में वाणिज्य बैंक कार्यालयों की नियमित सेवाएं उपलब्ध हैं ।

#### 5. विस्तार काउंटर खोलना

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से उन संस्थाओं के परिसर में विस्तार काउंटर खोल सकते हैं जिनके वे प्रधान बैंकर हैं, परन्तु इस प्रयोजन के लिए उन्हें पहले भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय (ग्राआरूवि) से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। विस्तार काउंटर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य कार्यालयों और बड़े कार्यालयों/फैक्ट्रियों, अस्पतालों, सैन्य यूनिटों, शैक्षणिक संस्थाओं, आवासीय इलाकों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों आदि के परिसरों में खोले जा सकते हैं, जहां ऐसे स्टाफ / कामगारों, विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो जिन्हें कार्य समय एकसामन होने और बैंकिंग सुविधाएं निकट उपलब्ध न होने के कारण अपने बैंकिंग लेनदेन करना कठिन हो रहा हो।

ऊपर बताई गई बातों के अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त का लेने के बाद पूजा स्थलों, बाजार की जगहों पर भी विस्तार काउंटर खोल सकते हैं। ऐसे मामलों में प्रधान बैंकर होने की शर्त लागू नहीं होगी।

विस्तार काउंटरो को सीमित स्वस्व के बैंकिंग कारोबार करने चाहिए, जैसे

- जमा / आहरण लेन-देन
- ड्राफ्ट जारी करना और भुनाना तथा डाक अंतरण
- यात्री चेक जारी करना और भुनाना
- गिफ्ट चेकों की बिक्री
- बिलों की उगाही
- अपने ग्राहकों की सावधि जमाराशियों पर अग्रिम (जो विस्तार काउंटर के संबंधित अधिकारी को प्राप्त मंजूरी देने की शक्ति के भीतर हो )
- सुरक्षा जमा लॉकर सुविधा (बशर्ते पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं की गयी हों )

साथ ही, यदि विस्तार काउंटर सरकारी कारोबार करना चाहता हो तो इसके लिए ऊपर पैरा 2.5 में निर्धारितानुसार संबंधित सरकारी प्राधिकारी तथा भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विस्तार काउंटर खोलने से पहले लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय अनुबंध II में दिये गये फार्मेट के भाग I और II में प्रस्तावित विस्तार काउंटरो का ब्योरा भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग ) को प्रस्तुत करना चाहिए ।

## 6. विस्तार काउंटरो का पूर्ण शाखाओं के स में दर्जा बढ़ाना



6.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को विस्तार काउंटर का पूर्ण शाखा के स्तर में दर्जा बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय (ग्राआरूवि) का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें। प्रस्ताव पर विचार निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर किया जाता है :

- विस्तार काउंटर कम से कम पांच वर्ष से कार्य कर रहा हो ।
- पिछले एक वर्ष के दौरान जमा खातों की संख्या 2000 से ऊपर गयी हो ,
- पिछले तीन वर्षों की औसत जमाराशि (अर्थात् मासिक आधार पर) 2 करोड़ रुपये से कम न हो ।

6.2 जिन प्रस्तावों में उपर्युक्त शर्तों में से कोई शर्त पूर्णतः पूरी नहीं की गयी हो, परन्तु वह संबंधित विस्तार काउंटर शाखा के स्तर में अन्यथा परिवर्तन योग्य हो गयी हो, तो ऐसे मामलों के संबंध में प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जायेगा ।

## 7 स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम)

7.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनकी शाखाओं तथा विस्तार काउंटरो, जिसके लिए उनके पास भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस हैं, पर एटीएम लगाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है । तथापि, जब भी किसी शाखा या विस्तार काउंटर पर एटीएम लगाया जाता है तब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (ग्राआरूवि) तथा सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग को रिपोर्ट करना चाहिए ।

7.2 यदि कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने परिचालन क्षेत्र में ऑफ साइट एटीएम स्थापित करना चाहता हो तो वह उसकी लागत और लाभ का मूल्यांकन करके ऐसा कर सकता है । भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है लेकिन ऐसे एटीएम खोले जाने पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (ग्राआरूवि) को तुरंत सूचित करना चाहिए ताकि कारोबार स्थान हेतु औपचारिक प्राधिकार प्राप्त किया जा सके ।

## 8 केंद्रों का वर्गीकरण / पुनःवर्गीकरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे जिन केंद्रों के जनसंख्या समूह वर्गीकरण के बारे में आश्वस्त नहीं हैं उनके बारे में नयी शाखाएं खोलने के लिए ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग से संपर्क करने से पहले, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग, सी-8/9, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई 400 051 से उक्त वर्गीकरण को सुनिश्चित कर लें । केंद्रों के पुनः वर्गीकरण के संबंध में कोई प्रश्न हो तो वह भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा परिवर्तन के समर्थन में संबंधित दस्तावेजों, जैसे राजपत्र की अधिसूचना, आदि सहित सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग को भेजा जाना चाहिए ।

## 9 घाटे में चल रही शाखाओं का विलय

जहां किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की घाटे में चल रही दो शाखाएं एक-दूसरे के निकट (लगभग 5 कि.मी. के अंदर ) हों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थानिक अंतर के औचित्य और आस्थापना /परिचालनगत लागत को कम करने के उद्देश्य से ऐसी दो शाखाओं के विलय पर विचार कर सकते हैं।

## 10. शाखा बैंकिंग के संबंध में विवरणियां प्रस्तुत करना

- (i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए कारोबार का स्थान खोलने के तुरंत बाद, उसके खोलने की तारीख और कार्यालय / शाखा का ठीक पता, केन्द्रीय कार्यालय तथा ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करना आवश्यक है।
- (ii) बैंककारी विनियमन (कंपनी) नियमावली, 1949 के नियम 13 के अनुसार बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक महीने के भीतर फार्म VII में भारत में अपने कार्यालयों से संबंधित सूची भारतीय रिजर्व बैंक के उस राज्य में स्थित कार्यालय को प्रस्तुत करें जहां उनका प्रधान कार्यालय स्थित है।
- (iii) साथ ही, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिनांक 6 जुलाई 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी.बीसी. 10/03.05.90ए/2005-06 (भारिबैं/2005-06/46) में सूचित किए अनुसार अनुबंध III में दिये गये प्रोफार्मा में तिमाही के दौरान खोले गये नये कार्यालयों / शाखाओं तथा वर्तमान कार्यालयों / शाखाओं के विलय आदि के कारण स्थिति में हुए परिवर्तन से संबंधित विवरणियां सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग ) तथा ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को उस तिमाही की समाप्ति के 14 दिन के भीतर जिससे वह संबंधित है, प्रस्तुत करनी चाहिए । तिमाही के दौरान किसी कार्यालय/ शाखा / एनएआइओ (विस्तार काउन्टरों, अनुषंगी कार्यालयों, एटीएम इत्यादि) खोले जाने / बन्द करने अथवा स्थिति में परिवर्तन होने के संबंध में कुछ भी रिपोर्ट करने के लिए न होने पर सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग और ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को "कुछ नहीं" विवरणी भेजी जाए ।

**अनुबंध - I**  
**( पैराग्राफ - 1.1 )**

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अंतर्गत कारोबार का नया स्थान खोलने  
अथवा कारोबार के वर्तमान स्थान को बदलने (उसी शहर, कस्बे या गाँव को छोड़कर अन्य स्थान  
पर) की अनुमति के लिए आवेदन पत्र -  
बैंककारी विनियमन (कंपनी) नियमावली, 1949, नियम 12 फार्म VI

1. बैंकिंग कंपनी का नाम :
2. प्रस्तावित कार्यालय :  
(निम्नलिखित जानकारी दें)
  - (क) शहर / कस्बे / गाँव का नाम :  
(यदि स्थान के एक से अधिक नाम हों, तो संबंधित  
जानकारी भी प्रस्तुत की जानी चाहिए )
  - (ख) मुहल्ले / स्थान का नाम :
  - (ग) (i) खंड (ब्लॉक), (ii) तहसील (i) (ii)  
(iii) जिला (iv) राज्य का नाम (iii) (iv)
  - (घ) (i) गाँव , (ii) विकास खंड (ब्लॉक) की आबादी (i) (ii)
  - (ङ) प्रस्तावित कार्यालय का स्तर (स्टेटस)
  - (च) प्रस्तावित कार्यालय तथा वाणिज्य बैंक के निकटतम  
वर्तमान कार्यालय के बीच की दूरी, बैंक एवं केन्द्र/  
मुहल्ले के नाम सहित :
  - (छ) 5 कि.मी. के घेरे में कार्यरत वाणिज्य बैंकों के नाम  
और उनके कार्यालयों की संख्या, उन केन्द्रों के नाम  
के साथ जिनमें वे कार्यरत हों :
  - (ज) विकास खंड (ब्लॉक) में बैंक की शाखाओं की सं. :

अन्य बैंकों की शाखाएं :

3. पिछला आवेदन :  
(यदि प्रस्तावित कारोबारी स्थान के संबंध में रिजर्व बैंक को पहले कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो उसका ब्योरा दें )
4. प्रस्तावित कार्यालय खोलने के लिए कारण :  
(प्रस्तावित कार्यालय के लिए ब्यौरेवार कारण बतायें तथा निम्नानुसार सांख्यिकी एवं अन्य आंकड़े प्रस्तुत करें, जिनका संकलन प्रस्तावित कार्यालय के लिए किया गया हो )
- (i) स्थान की जनसंख्या :
- (ii) प्रस्तावित कार्यालय के कमान क्षेत्र (अर्थात् परिचालन के क्षेत्र ) के विवरण :
- (क) कमान क्षेत्र की अनुमानित त्रिज्या (रेडियस) :
- (ख) कमान क्षेत्र में गांवों की संख्या :
- (ग) कमान क्षेत्र की आबादी :
- (iii) निम्नलिखित प्राप्ति में प्रस्तावित कार्यालय के परिचालन क्षेत्र में कृषि, खनिज और औद्योगिक उत्पादन की तथा आयात और निर्यात की मात्रा और मूल्य :

वस्तु का नाम	उत्पादन		आयात		निर्यात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

- (iv) यदि कृषि, खनिज अथवा औद्योगिक विकास के लिए योजनाएं हों तो उनका ब्यौरा दें तथा वर्तमान उत्पादन, आयात और निर्यात की मात्रा और

- मूल्य पर उनके संभावित प्रभाव का उल्लेख करें
- (v) यदि वर्तमान बैंकिंग सुविधाएं अपर्याप्त समझी जायें, तो उसके कारण बतायें
- (vi) संभावनाएं : प्रस्तावित कार्यालय में 12 महीने के भीतर बैंकिंग कंपनी द्वारा किये जानेवाले न्यूनतम कारोबार की अनुमानित मात्रा निम्नानुसार दर्शायें
- (क) जमाराशियां : रु
- (ख) अग्रिम : रु

5. वर्तमान कार्यालय की स्थिति में परिवर्तन (उस कार्यालय की सही स्थिति बतायें, जिसे बंद करने का प्रस्ताव है तथा मद 2, 3 और 4 के अनुसार नये स्थान का ब्यौरा देते हुए उस स्थान की सही स्थिति बतायें जहाँ इस कार्यालय को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है )

6. व्यय :

\* अनुमानित  
वार्षिक व्यय

(प्रस्तावित कार्यालय के संबंध में स्टाफ, परिसर, क) स्थापना प्रभार रु  
फर्नीचर, स्टेशनरी, विज्ञापन आदि पर पहले किये ख) स्टेशनरी और विविध रु  
जा चुके अथवा प्रस्तावित व्यय की मात्रा । ग) किराया और भवन रु.  
साथ ही, यह भी उल्लेख करें कि 12 महीनों घ) जमाराशियों पर अदा रु

में प्रस्तावित कार्यालय में बैंकिंग कंपनी को किये जानेवाला व्यय  
न्यूनतम कितनी आय होने की आशा है) ड.) प्रधान कार्यालय से रु  
उधार ली गयी निधि  
पर ब्याज @ ...%  
कुल रु

अनुमानित वार्षिक आय

क) अग्रिमों पर ब्याज रु  
ख) कमीशन रु  
ग) विनिमय

रु  
रु

घ) उधार दी गयी निधि  
पर ब्याज  
प्रधान कार्यालय  
कुल : रु  
अनुमानित लाभ रु

7. अन्य विवरण :

(कोई अन्य अतिरिक्त तथ्य, जिसे बैंकिंग कंपनी  
अपने आवेदन के समर्थन में बताना चाहे)

- \* जो भाग लागू न हो उसे काट दें । यह जानकारी  
उन्हीं केन्द्रों के आवेदन के मामले में प्रस्तुत की  
जानी है जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम हो ।

अनुबंध - II  
( पैराग्राफ 5 )

विस्तार काउंटर के लिए अनुरोध के संबंध में  
बैंक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण

भाग - I

1. बैंक का नाम :
2. जिस संस्था में विस्तार काउंटर खोला जाना है :  
उसका नाम और डाक का पूरा पता
3. बैंक के मूल कार्यालय का नाम और पता, :  
जिसके साथ विस्तार काउंटर को संबद्ध  
किया जाना है
4. i) मूल कार्यालय एवं प्रस्तावित विस्तार  
काउंटर के बीच की दूरी
- ii) प्रस्तावित विस्तार काउंटर और आवेदक  
बैंक के निकटतम कार्यालय (विस्तार  
काउंटर, चल (मोबाइल) कार्यालय  
सैटेलाइट कार्यालय आदि सहित) के बीच  
की दूरी
- iii) प्रस्तावित विस्तार काउंटर और अन्य  
बैंकों \*(शहरी सहकारी बैंकों सहित) के  
कार्यालय दूरी बैंक का नाम  
निकटतम कार्यालयों /विस्तार काउंटरो,  
का प्रकार  
चल कार्यालयों आदि के बीच की दूरी i)  
\*काउंटर के लिए आवेदन करनेवाले ii)  
बैंक से इतर iii)

- iv) परिसरों में कार्यरत कर्मचारी को ऑफ क्रेडिट सोसाइटी, यदि कोई हो, के विवरण
5. i) जिस संस्था में विस्तार काउंटर स्थापित किया जाना है उसके प्रधान बैंकर का नाम
- ii) क्या संस्था ने विस्तार काउंटर के लिए स्थान देने हेतु सहमति दे दी है ?
- iii) क्या संस्था को अपने स्टाफ / कर्मचारियों / कामगारों से इतर जनता को विस्तार काउंटर के कैम्पस / परिसर के भीतर बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त करने की अनुमति देने में कोई आपत्ति है ? यदि हो, तो उसके कारण

(उक्त बातों के समर्थन में आवेदन के भाग II में दिये गये निर्धारित प्रोफार्मा में संस्था के सक्षम प्राधिकारी से एक पत्र उक्त बातों के समर्थन में संलग्न किया जाना चाहिए । )

6. (i) 5(i) में दी गयी संस्था के प्रधान बैंकर से इतर बैंकर / बैंकरों का / के नाम
- (ii) उक्त प्रत्येक बैंकर / बैंकरों के पास संस्था के खातों की संख्या और उनकी जमाराशियों की मात्रा
7. (i) संस्था के साथ विशिष्ट तौर पर संबद्ध जिस ग्राहक वर्ग की बैंकिंग आवश्यकताएं पूरी की जानी हैं उसकी संख्या और उसके प्रकार  
(कृपया अलग-अलग आंकड़े दें)

स्टाफ  
कामगार  
छात्र  
अध्यापक  
अन्य \* (नाम दें )  
जोड़

-----



- -----  
-----  
-----
- (ii) अन्य सामान्य जनता आदि की अनुमानित संख्या, जिनकी जरूरतें पूरी की जाती हैं ।
8. (क) परिचालन के दो वर्षों में काउंटर पर निम्नलिखित से प्रत्याशित जमाराशियों की मात्रा : पहला वर्ष  
दूसरा वर्ष
- खातों की संख्या  
राशि  
खातों की संख्या  
राशि
- (i) संस्था के स्टाफ /कामगारों / छात्रों अध्यापकों \* से  
(ii) संस्था से  
(iii) सामान्य जनता से
9. (ख) नकद लेनदेनों की दैनिक मात्रा संख्या राशि संख्या राशि  
विस्तार काउंटर खोलने के कारण
10. प्रस्तावित विस्तार काउंटर में किये जाने वाले लेनदेनों का स्वस्थ
11. बैंक द्वारा देय किराया ( प्रासंगिक व्यय को छोड़कर), यदि कोई हो, की राशि, किराये की दर और विस्तार काउंटर बनाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र

12. क्षेत्र में प्रचलित अथवा राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित वाणिज्यिक किराये की दर
13. 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रस्ताव की अर्थक्षमता / आर्थिक पहलुओं के संक्षिप्त परिकलन

दिनांक : ( हस्ताक्षर और आवेदन बैंक की मोहर)

जिस संस्था के परिसर में विस्तार काउंटर खोलने का प्रस्ताव है, उसके सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानेवाली घोषणा

## भाग II

दिनांक .....

1. हमने .....के परिसर में उक्त संस्था @ (संस्था का नाम और पूरा पता) से संबंध निम्नलिखित वर्गों के लाभ के लिए विस्तार काउंटर खोलने के लिए ..... से अनुरोध किया है । ( बैंक का नाम )

\* कामगार ..... कृपया वास्तविक संख्या

\* स्टाफ / कर्मचारी ..... अलग-अलग दर्शाये

\* छात्र ..... अलग-अलग दर्शाये

\* अध्यापक

@ (जहां यह पत्र जारी करने वाली प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक ऐसी संस्थाओं का प्रबंधन किया जा रहा हो, जिन्हें विस्तार काउंटर का लाभ मिलने वाला हो, उन संस्थाओं के नाम/ विस्तार काउंटर के लिए प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी, प्रत्येक संस्था के साथ अलग-अलग संबंध छात्रों / स्टाफ की संख्या आदि, उनके बैंकों के नाम और दूरी भी अलग-अलग दर्शायी जानी चाहिए )

\* (जो लागू न हो उसे काट दें )

2. (क) ..... हमारे प्रधान बैंकर हैं ।

( बैंक का नाम और स्थान )

हम निम्नलिखित बैंकरों ( बैंकरों के नाम और संस्था से उनकी दूरी बतायें ) के साथ भी लेनदेन करते हैं :

1. ....
2. ....
3. ....

(ख) ..... को प्रधान बैंकर और अन्य बैंकरों के पास  
(कृपया अद्यतन स्थिति बतायें ) हमारे खातों का ब्यौरा ।

बैंक का नाम	खाते (खातों) का प्रकार	राशि ( रु . . . . में )
1.		
2.		
3.		
4.		

3. हम अपनी संस्था के परिसर में विस्तार काउंटर खोलने के लिए आवश्यक स्थान प्रदान करने का वचन देते हैं (उक्त क्रम सं. 1 में उल्लिखित )
4. हमें बाहरी व्यक्तियों को विस्तार काउंटर का उपयोग करने की अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं है ।
5. यदि प्रधान बैंकर से इतर बैंक को विस्तार काउंटर की अनुमति देने का प्रस्ताव हो तो उसके कारण ।

6. क्या इस प्रयोजन के लिए इसी तरह का पत्र किसी अन्य बैंकर को जारी किया गया है ?

(संस्था की ओर से सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर,

पदनाम का उल्लेख करते हुए और मोहर, यदि कोई हो)

**आवेदक बैंक द्वारा भरा जाये**

हमने पैरा 1 में संस्था द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन कर लिया है और उसे सही पाया गया है ।

( हस्ताक्षर और आवेदक  
बैंक की मोहर )

आवेदक बैंक द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में विस्तार काउंटर के आवेदन के साथ भारतीय रिजर्व बैंक को यह प्रमाणपत्र मूल स्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

अनुबंध III  
(पैरा - 12)  
प्रोफार्मा - I

खोली गयी नयी शाखा /कार्यालय/ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है (एनएआईओ) का विवरण :  
(कृपया प्रोफार्मा I तथा II भरने से पूर्व अनुदेश पढ़ें)

मदें

1. (क) वाणिज्य बैंक /अन्य वित्तीय संस्था / सहकारी संस्था का  
नाम : .....

(ख) निम्नलिखित के लिए प्रोफार्मा :

बैंक की शाखा / कार्यालय ( )  
ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है (एनएआईओ) ( )  
अन्य वित्तीय संस्था की शाखा / कार्यालय ( )  
(उचित खाने में सही (4) का निशान लगाएं )

(ग) एकसमान कूट : भाग I (7/9 अंक) : .....  
(अनुदेश I, II, III देखें; स्पष्टीकरण भी देखें) (एनएआईओ के लिए)  
भाग -II (7 अंक) : .....  
(भारतीय रिजर्व बैंक आबंटित करेगा)  
(अनुदेश I,II,III देखें; स्पष्टीकरण भी देखें)

2. (क) नयी शाखा /कार्यालय /जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है ऐसे कार्यालय का नाम : .....

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक संदर्भ संख्या .....

तथा प्राधिकरण की तारीख : .....  
दिन माह वर्ष

(ग) लाइसेन्स संख्या : .....  
(भारिबैं से प्राप्त संख्या)

(घ) लाइसेन्स की तारीख : .....  
(स्पष्टीकरण देखें) दिन माह वर्ष

(ङ) क्या यह लाइसेन्स के पुनर्वैधीकरण का मामला है :  
हां ( ) नहीं ( )

यदि हां, तो पुनर्वैधीकरण की तारीख दें (स्पष्टीकरण देखें) :

.....  
दिन माह वर्ष

3. नयी शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, को खोलने की तारीख : .....  
दिन माह वर्ष

4. डाक पता :

4.1 भवन का नाम /नगरपालिका

संख्या (यदि कोई हो) : .....

4.2 सड़क का नाम (यदि कोई हो) : .....

4.3 (क) डाक घर का नाम : .....



केंद्र सरकार के कारोबार का प्रकार

- (1) ( ) सरकारी कारोबार नहीं है  
(2) ( ) प्रत्यक्ष कर  
(3) ( ) विभागीकृत मंत्रालयों का खाता (डीएमए)  
(4) ( ) पेन्शन  
(5) ( ) बांड निर्गम  
(6) ( ) अन्य (यदि कुछ है तो उल्लेख करें) : .....

(ख) राज्य सरकार के कारोबार की स्थिति (अर्थात् राजकोषीय / उप-राजकोषीय कारोबार) : (समुचित खाने में सही ( 4 ) निशान लगाएं)

राजकोषीय /उप-राजकोषीय कारोबार का प्रकार (राज्य सरकार)

- (1) ( ) सरकारी कारोबार नहीं है  
(2) ( ) राजकोषीय कारोबार  
(3) ( ) उप-राजकोषीय कारोबार  
(4) ( ) पेन्शन  
(5) ( ) बांड निर्गम  
(6) ( ) अन्य (यदि कुछ है तो उल्लेख करें) : .....

(ii) क्या इस शाखा /कार्यालय से मुद्रा तिजोरी (करेन्सी चेस्ट) संबद्ध है : हां ( ) नहीं ( )

(अ) यदि 'हां' तो निम्नलिखित जानकारी दें :

(क) करेन्सी चेस्ट का प्रकार : क ( ) ख ( ) ग ( )  
(उचित खाने में सही ( 4 ) निशान लगाएं ।

(ख) करेन्सी चेस्ट की स्थापना की तारीख : 

--	--

--	--

--	--	--	--

  
दिन माह वर्ष

(ग) करेन्सी चेस्ट कूट संख्या : 

--	--	--	--	--	--	--	--

  
(मुद्रा प्रबंध विभाग द्वारा आबंटित 8 अंकीय कूट संख्या यहां लिखें )

(घ) जहां करेन्सी चेस्ट स्थित है उस क्षेत्र के प्रकार का उल्लेख करें :  
("क्षेत्र का प्रकार" कूट का उल्लेख करें; स्पष्टीकरण देखें)

कूट 

--

 क्षेत्र का प्रकार : .....

(आ) यदि 'नहीं' तो, करेन्सी चेस्ट सुविधा वाली निकटतम शाखा /कार्यालय का विवरण दें :

(क) बैंक का नाम : .....

(ख) शाखा का नाम : .....

(ग) एकसमान कूट संख्या का भाग - I 

--	--	--	--	--	--	--	--

  
:

(घ) दूरी (कि.मी. में) : .....

(ङ) केंद्र का नाम : .....

(iii) क्या इस शाखा /कार्यालय से कोई आधान (रिपोजिटरी) संबद्ध है ? हां ( ) नहीं ( )







## प्रोफार्मा - II

वर्तमान शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय की स्थिति में हुए बदलाव/ विलयन/ परिवर्तन/बंद होने आदि का विवरण

(कृपया प्रोफार्मा भरने से पूर्व सभी अनुदेश तथा स्पष्टीकरण पढ़ें। प्रोफार्मा - II में विभिन्न मदों के समक्ष कोष्ठकों में दी गयी स्पष्टीकरण टिप्पणियां संलग्न "प्रोफार्मा - I में मदों के स्पष्टीकरण" के अंतर्गत दर्शाए गए प्रोफार्मा - I की मद संख्याओं से संबंधित हैं)

बैंक /अन्य वित्तीय संस्था /सहकारी संस्था का नाम :-

\_\_\_\_\_

**अ. शाखा/कार्यालय/प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय की स्थिति/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी /व्यवसाय के स्वरूप / डाक पते में हुआ परिवर्तन :**

1. शाखा /कार्यालय / प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय का नाम (मद सं. 2(क) में स्पष्टीकरण देखें) :

(क) पुराना नाम : \_\_\_\_\_

(ख) वर्तमान नाम : \_\_\_\_\_

(ग) नाम में परिवर्तन करने की तारीख : 

--	--

--	--

--	--	--	--

दिन माह वर्ष

2. एकसमान कूट (विद्यमान)

(क) भाग - I (7/9 अंक) : 

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

(ख) भाग - II (7 अंक) : 

--	--	--	--	--	--	--

3. शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय के व्यवसाय की स्थिति में परिवर्तन (मद सं. 7 (क) में स्पष्टीकरण देखें) :

क) पुरानी स्थिति का नाम : \_\_\_\_\_ कूट : 

--	--

ख) वर्तमान स्थिति का नाम : \_\_\_\_\_ कूट : 

--	--

ग) स्थिति के परिवर्तन की तारीख (यदि हो) : 

--	--

--	--

--	--	--	--

दिन माह वर्ष

4. व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन :

(उचित खाने में सही (4) का निशान लगाएं)

(क)	<u>पुराना</u>	<u>नाम</u>	<u>वर्तमान</u>
(1)	( )	बैंकिंग व्यवसाय	( )
(2)	( )	वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवसाय	( )
(3)	( )	विदेशी मुद्रा	( )
(4)	( )	स्वर्ण जमा	( )
(5)	( )	बीमा	( )
(6)	( )	प्रशासनिक /नियंत्रक कार्यालय	( )
(7)	( )	प्रशिक्षण केंद्र	( )
(8)	( )	अन्य (कोई है तो कृपया उल्लेख करें)	( )

ख) व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन की तारीख (यदि हो)

दिन                      माह                      वर्ष

5. (क) शाखा /कार्यालय / प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय की प्रौद्योगिक सुविधा में परिवर्तन :  
(उचित खाने में सही (4) का निशान लगाएं)

	पुराना	प्रौद्योगिक सुविधा	वर्तमान
(1)	( )	अब तक कंप्यूटरीकृत नहीं है	( )
(2)	( )	अंशतः कंप्यूटरीकृत	( )
(3)	( )	पूर्णतः कंप्यूटरीकृत	( )

(ख) प्रौद्योगिक सुविधा में परिवर्तन की तारीख :

दिन                      माह                      वर्ष

6. (क) शाखा /कार्यालय / प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है में संचार सुविधा :  
(उचित खाने में सही (4) का निशान लगाएं)

	पुराना	संचार सुविधा	वर्तमान
(1)	( )	नेटवर्क नहीं है	( )
(2)	( )	इंफ्रीनेट	( )
(3)	( )	इंटरनेट	( )
(4)	( )	इंट्रानेट	( )
(5)	( )	कोर बैंकिंग सोल्यूशन	( )
(6)	( )	अन्य	( )

(कोई है तो कृपया उल्लेख करें)

संचार सुविधा में परिवर्तन की तारीख

दिन                      माह                      वर्ष

7. शाखा /कार्यालय की प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी दें :

क) पुरानी श्रेणी :

ख) नयी /परिवर्तित श्रेणी :

आगे, उचित खाने में सही (4) का निशान लगाएं :  
दर्जा बढ़ाया गया ( ) दर्जा घटाया गया ( ) नये रूप से प्राधिकृत ( )

ग) दर्जा बढ़ाने/दर्जा घटाने/प्राधिकार देने की तारीख

दिन                      माह                      वर्ष

घ) यदि सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करने वाली शाखा को विदेशी मुद्रा व्यवसाय संभालने का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है और वह प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी 'सी' की शाखा है तो जिस संपर्क शाखा /कार्यालय के माध्यम से उसके लेनदेनों की रिपोर्ट होती है उसकी एकसमान कूट संख्या दें :

भाग - I (7 अंक) :

भाग - II (7 अंक) :

ड) यदि विद्यमान 'सी' श्रेणी शाखा का संपर्क कार्यालय बदल दिया गया है, तो नये संपर्क कार्यालय की भाग-I तथा II

कूट संख्या दें :

भाग - I (7 अंक) :

भाग - II (7 अंक) :

च) यदि 'ए' / 'बी' श्रेणी की प्राधिकृत व्यापारी शाखा का दर्जा घटाकर उसे 'सी' श्रेणी का कर दिया गया है, तो उस संपर्क शाखा / कार्यालय की एकसमान कूट संख्या दें जिसके माध्यम से दर्जा घटायी गयी 'सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा के लेनदेनों को रिपोर्ट किया जाता है :

भाग - I (7 अंक) :

भाग - II (7 अंक) :

छ) यदि 'ए' / 'बी' श्रेणी की प्राधिकृत व्यापारी शाखा, जो कि एक अथवा अधिक 'सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा(ओं) के लिए संपर्क कार्यालय का कार्य कर रही है, का दर्जा घटाकर उसे 'सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा बना दिया गया है, तो उन प्राधिकृत व्यापारी (रियों) की भाग-I कूट संख्या (एं) दें जिसे (जिन्हें) उक्त 'सी' श्रेणी शाखा (ओं) के संपर्क कार्यालय का कार्य सौंपा गया है ।

'सी' श्रेणी शाखा की एकसमान कूट सं.

संपर्क कार्यालय की एकसमान कूट सं.

भाग - I :

भाग - I :

भाग - I :

भाग - I :

भाग - I :

भाग - I :

(यदि 'सी' श्रेणी शाखाओं की सूची बड़ी है, तो सूची संलग्न करें)

ज) यदि अकेले ही सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करने वाली शाखा / 'सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा को 'ए' / 'बी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा का कार्य सौंपा जाता है अथवा उसका दर्जा बढ़ाया जाता है, तो नये तौर पर दर्जा बढ़ाई गई प्राधिकृत व्यापारी शाखा से जुड़ने वाली सभी 'सी' श्रेणी शाखाओं की भाग - I कूट संख्या दें:

भाग - I (7 अंक) :

भाग - I (7 अंक) :

भाग - I (7 अंक) :

(यदि 'सी' श्रेणी शाखाओं की सूची बड़ी है, तो सूची संलग्न करें)

8. करेंसी चेस्ट / रिपोजिटरी / सिक्का डिपो / सरकारी कारोबार आदि की स्थिति में परिवर्तन यदि है, तो उससे संबंधित ब्यौरे (खोलने/अंतरण /परिवर्तन /बंद करने सहित)। अंतरण /परिवर्तन /बंद करने के इन सभी मामलों में तारीख का भी उल्लेख करें

(क) (i) केंद्र सरकार का कारोबार

(उचित खाने में सही (4) का निशान लगाएं)

पुराना	सरकारी कारोबार का प्रकार	नया
(1) ( )	सरकारी कारोबार नहीं है	( )
(2) ( )	प्रत्यक्ष कर	( )
(3) ( )	विभागीय मंत्रालय लेखा (डीएमए)	( )
(4) ( )	पेन्शन	( )
(5) ( )	बांड निर्गम	( )

(6) ( ) अन्य (कोई है तो कृपया उल्लेख करें) ( )

(ii) परिवर्तन की तारीख :        
दिन माह वर्ष

(ख) (i) राजकोषीय / उप राजकोषीय कारोबार (राज्य सरकार का कारोबार)

(उचित खाने में सही (4) का निशान लगाएं)

पुराना	राजकोषीय / उप राजकोषीय कारोबार का प्रकार	नया
(1) ( )	सरकारी कारोबार नहीं है	( )
(2) ( )	राजकोषीय कारोबार	( )
(3) ( )	उप राजकोषीय कारोबार	( )
(4) ( )	पेंशन	( )
(5) ( )	बांड निर्गम	( )
(6) ( )	अन्य (कोई है तो कृपया उल्लेख करें) ( )	( )

(ii) परिवर्तन की तारीख :        
दिन माह वर्ष

(ग) करेन्सी चेस्ट का प्रकार बताएं :

पुरानी : ( ) वर्तमान : ( )

परिवर्तन की तारीख :        
दिन माह वर्ष

(घ) यदि करेन्सी चेस्ट के लिए नये तौर पर प्राधिकार दिये गये हैं तो निम्नलिखित को दर्शाएं :

(i) करेन्सी चेस्ट का प्रकार (उचित खाने में सही (4) का निशान लगाएं)

क ( ) ख ( ) ग ( )

(ii) प्राधिकार देने की तारीख :        
दिन माह वर्ष

(iii) करेन्सी चेस्ट कूट सं. :          
(मुद्रा प्रबंध विभाग द्वारा आबंटित 8 अंकीय कूट संख्या लिखें)

(iv) करेन्सी चेस्ट जहां स्थित है उस क्षेत्र के प्रकार का उल्लेख करें :

(‘क्षेत्र का प्रकार’ कूट संख्या दें : स्पष्टीकरण देखें)

कूट संख्या :  क्षेत्र का प्रकार :

(ङ) रिपोजिटरी :

(च) सिक्का-डिपो :

9. पूरा डाक पता : (मद संख्या 4.1 से 4.8 में स्पष्टीकरण देखें)

(i) पुराना

(क) भवन का नाम /नगरपालिका संख्या (यदि हो) : \_\_\_\_\_

(ख) सड़क का नाम (यदि हो) : \_\_\_\_\_

(ग) (i) डाक घर का पता : \_\_\_\_\_

(ii) पिन कोड : 

--	--	--	--	--	--

(घ) केंद्र में इलाके का नाम (राजस्व इकाई) : \_\_\_\_\_

(ङ) केंद्र का नाम (राजस्व इकाई) : \_\_\_\_\_

(च) सामुदायिक विकास खंड /विकास खंड /तहसील /तालुका /उप-प्रभाग /मंडल /  
पुलिस थाने का नाम : \_\_\_\_\_

(छ) टेलीफोन सं. /टेलेक्स सं. (एसटीडी कोड सहित) : \_\_\_\_\_

(ज) फैंक्स सं. : \_\_\_\_\_

(झ) ई-मेल पता : \_\_\_\_\_

(ii) वर्तमान

(क) भवन का नाम /नगरपालिका संख्या (यदि हो) : \_\_\_\_\_

(ख) सड़क का नाम (यदि हो) : \_\_\_\_\_

(ग) (i) डाक घर का पता : \_\_\_\_\_

(ii) पिन कोड : 

--	--	--	--	--	--

(घ) केंद्र में इलाके का नाम (राजस्व इकाई) : \_\_\_\_\_

(ङ) केंद्र का नाम (राजस्व इकाई) : \_\_\_\_\_

(च) सामुदायिक विकास खंड /विकास खंड /तहसील /तालुका /उप-प्रभाग /मंडल /  
पुलिस थाने का नाम : \_\_\_\_\_

(छ) टेलीफोन सं. /टेलेक्स सं. (एसटीडी कोड सहित) : \_\_\_\_\_

(ज) फैंक्स सं. : \_\_\_\_\_

(झ) ई-मेल पता : \_\_\_\_\_

(iii) पते में परिवर्तन की  
तारीख

--	--

--	--

--	--	--	--

  
दिन                      माह                      वर्ष

10. (i) यदि शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय को अलग केंद्र (राजस्व इकाई) पर पुनः

स्थापित किया गया है तो वर्तमान केंद्र के ब्योरे दें :

((क), (ख), (ग) तथा (च) के लिए क्रमशः मद सं. 2(क), 5(क), 5(ख) तथा 5(ड) में स्पष्टीकरण देखें)

(क) शाखा /कार्यालय/ प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय का नाम : \_\_\_\_\_

(ख) राजस्व इकाई (केंद्र का नाम) : \_\_\_\_\_

(ग) सामुदायिक विकास खंड /विकास खंड /तहसील /तालुका /उप-प्रभाग / मंडल /पुलिस थाने का नाम : \_\_\_\_\_

(घ) जिले का नाम : \_\_\_\_\_

(ड) राज्य का नाम : \_\_\_\_\_

(च) केंद्र की जनसंख्या (नवीनतम जनगणना के अनुसार) : \_\_\_\_\_

(ii) केंद्र में परिवर्तन की तारीख

--	--

--	--

--	--	--	--

दिन                      माह                      वर्ष

11. यदि शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय को अलग केंद्र पर पुनःस्थापित किया गया है तो पुनःस्थापन के कारण दें : \_\_\_\_\_

(क) लाइसेंस सं. : \_\_\_\_\_

भा.रि.बैं. के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा \_\_\_\_\_में लाइसेंस को उचित रूप से

(ख) संशोधित करने की तारीख :

--	--

--	--

--	--	--	--

दिन                      माह                      वर्ष

(ग) भा.रि.बैं. के केंद्रीय कार्यालय के अनुमोदन की संदर्भ सं. तथा तारीख :

संदर्भ सं. \_\_\_\_\_ तारीख: \_\_\_\_\_

--	--

--	--

--	--	--	--

दिन                      माह                      वर्ष

12. किसी प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय की आधार शाखा /कार्यालय का परिवर्तन /बंद होने के मामले में

निम्नलिखित जानकारी दें :

(क) पुरानी आधार शाखा /कार्यालय का भाग-I कूट सं. : \_\_\_\_\_

(ख) नयी आधार शाखा /कार्यालय का भाग-I कूट सं. : \_\_\_\_\_

13. कोई अन्य जानकारी : \_\_\_\_\_

**ख. शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय का बंद होना/विलयन /परिवर्तन :**

1. समापन ( ) विलयन ( ) परिवर्तन ( ) की सूचना (उचित खाने में सही (4) का निशान लगाएं)

2. शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय का नाम (मद सं. 2(क) में स्पष्टीकरण देखें) :

3. एकसमान कूट संख्याएं (मद सं. 1(ख) में स्पष्टीकरण देखें) :

भाग - I   भाग - II :

4. (क) शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय का डाक पता :  
(मद सं. 4.1 से 4.8 में स्पष्टीकरण देखें) :

(i) भवन का नाम /नगरपालिका संख्या (यदि हो) :

(ii) सड़क का नाम (यदि हो) :

(iii) (क) डाक घर का पता :

(ख) पिन कोड :

(iv) केंद्र में इलाके का नाम (राजस्व इकाई) :

(v) सामुदायिक विकास खंड /विकास खंड /तहसील /तालुका /उप-प्रभाग /मंडल /  
पुलिस थाने का नाम :

(vi) टेलीफोन सं. /टेलेक्स सं. (एसटीडी कोड सहित) :

(vii) फैक्स सं. :

(viii) ई-मेल पता :

(ख) केंद्र का नाम :

(मद सं. 5(क) में स्पष्टीकरण देखें)

(ग) जिले का नाम :

(घ) राज्य का नाम :

(ङ) नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार केंद्र (राजस्व इकाई) की जनसंख्या :   
(मद सं. 5(ङ) में स्पष्टीकरण देखें)

5. समापन /विलयन /परिवर्तन की  
तारीख:

दिन

माह

वर्ष

6. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की संदर्भ सं. तथा तारीख :

संदर्भ सं.

तारीख:

दिन

माह

वर्ष

7. बंद करने /विलयन/परिवर्तन का कारण :

8. भारिबैं के स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को

(शाखा /कार्यालय/प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय  
का नाम)

के लिए लाइसेंस वापस करने की तारीख :

दिन

माह

वर्ष



9. ऐसी 'ए'/'बी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा के समापन /विलयन के मामले में, जो एक या उससे अधिक 'सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा(ओं), के लिए संपर्क कार्यालय का कार्य कर रही है, उन प्राधिकृत व्यापारी शाखा(ओं) की भाग I कूट संख्या दें जिसे/जिन्हें उक्त 'सी' श्रेणी शाखा(ओं) के संपर्क कार्यालय का कार्य सौंपा गया है :

<u>'सी' श्रेणी शाखा की एकसमान कूट संख्या</u>	<u>संपर्क कार्यालय की एकसमान कूट संख्या</u>																				
भाग - I : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> :											भाग - I <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>										
भाग - I : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> :											भाग - I <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>										
भाग - I : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> :											भाग - I <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>										

(यदि 'सी' श्रेणी शाखों की सूची बड़ी है तो सूची संलग्न करें)

10. यदि शाखा/कार्यालय को ऐसे कार्यालय के रूप में जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है (एनएआइओ), परिवर्तित किया गया है तो ऐसे एनएआइओ का प्रकार दें :  
(मद सं. 7 (क) (iv) में स्पष्टीकरण देखें)

स्थिति का नाम : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 कूट संख्या : 

--	--

11. आधार /आमेलक शाखा /कार्यालय का विवरण :

(क) प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय के रूप में परिवर्तित होने के मामले में :

i) आधार शाखा /कार्यालय का नाम : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ii) एकसमान कूट संख्याएं : भाग - I (7 अंक) : 

--	--	--	--	--	--	--

भाग - II (7 अंक) : 

--	--	--	--	--	--	--

iii) संपूर्ण डाक पता : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ख) शाखाओं /कार्यालयों/प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालयों के विलय /आमेलन के मामलों में :

i) आमेलक शाखा /कार्यालय का नाम : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ii) एकसमान कूट संख्याएं : भाग - I (7 अंक) : 

--	--	--	--	--	--	--

भाग - II (7 अंक) : 

--	--	--	--	--	--	--

iii) संपूर्ण डाक पता : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



विभाग को न भेजें ।

- IV. जिन सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपनी नयी शाखाओं/कार्यालयों/ऐसे कार्यालयों, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, को भाग I कूट संख्या देने की अनुमति दी गयी है; उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रोफार्मा - I प्रेषित करते समय उपर्युक्त III में उल्लिखित अनुदेश का कड़ाई से पालन करना होगा ।
- V. किसी ऐसे कार्यालय का, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, संपूर्ण शाखा /कार्यालय में उन्नयन किया जाता है तो उसे मूल कार्यालय का बंद होना और शाखा /कार्यालय का खुलना समझा जाए । तदनुसार, उस कार्यालय, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, के बंद होने के लिए प्रोफार्मा - II तथा शाखा / कार्यालय में उन्नयन के लिए प्रोफार्मा - I प्रस्तुत किया जाए ।
- VI. विकल्पतः, यदि किसी शाखा /कार्यालय को, ऐसे कार्यालय में जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, परिवर्तित किया गया है, तो शाखा /कार्यालय के बंद होने के लिए प्रोफार्मा - II तथा परिवर्तन /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, खोलने के लिए प्रोफार्मा - I प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
- VII. भाग - I तथा भाग - II कूट संख्या के आबंटन /भाग -II कूट संख्या में संशोधन के लिए प्रोफार्मा- I तथा II तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक प्रोफार्मा की सभी मर्दें उचित रूप से भरी नहीं जाती हैं ।

प्रोफार्मा -I की मर्दों का स्पष्टीकरण

मर्द सं. 1 (ग) :

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (एसबीआई तथा उसके 7 सहयोगी बैंक एवं 19 राष्ट्रीयकृत बैंक तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक ऑफ इंडिया लि.) को केवल अपनी शाखाओं/ कार्यालयों/ऐसे कार्यालयों जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं को 7/9 अंक वाली भाग - I कूट संख्याएं देने की अनुमति है तथा अन्य बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (सांविक्सेवि) भाग - I तथा भाग II दोनों कूट संख्याएं आबंटित करता है । ऐसा प्रत्येक कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, किसी स्वतंत्र शाखा से संबद्ध होता है। जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय नहीं है उसके लिए भाग - I कूट संख्या के अंतिम दो अंक (बायें से 8वां तथा 9वां अंक) हैं, जिनके आगे आधार शाखा की 7 अंकीय भाग - I कूट संख्या होगी ।

बैंकों की शाखाओं /कार्यालयों की एकसमान कूट संख्या दो भागों की होती है, - प्रति 7 अंकों की भाग - I कूट संख्या तथा भाग - II कूट संख्या ; जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय नहीं हैं उनकी भाग - I कूट संख्या को 2 अतिरिक्त अंक जोड़ दिये जाते हैं ।

भाग - I कूट संख्या निम्नानुसार परिभाषित की जाती है :

- वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की शाखाओं /कार्यालयों/ऐसे कार्यालयों, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, के लिए :  
बायें से पहले तीन अंक बैंक की कूट संख्या से संबंधित हैं  
अगले चार अंक शाखा कूट संख्या दर्शाते हैं  
अंतिम दो अंक ऐसे कार्यालयों, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, की कूट संख्या दर्शाते हैं ।
- राज्य /जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, राज्य /केंद्रीय भूमि विकास बैंकों की शाखाओं/कार्यालयों/ऐसे कार्यालयों, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं :  
बाएं से पहले चार अंक बैंक कूट संख्या दर्शाते हैं  
अगले तीन अंक शाखा कूट संख्या दर्शाते हैं  
अंतिम दो अंक ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, की कूट संख्या दर्शाते है ।
- अन्य सहकारी बैंकों, सैलरी अर्नर्स सोसाइटी, राज्य वित्तीय निगमों तथा टूर्स, ट्रैवल्स, वित्त तथा पट्टादायी कंपनियों की शाखाओं /कार्यालयों / ऐसे कार्यालयों जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, के लिए :  
बाएं से पहले पांच अंक बैंक कूट संख्या दर्शाते हैं ।  
अगले दो अंक शाखा कूट संख्या दर्शाते हैं ।  
अंतिम दो अंक ऐसे कार्यालयों, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, की कूट संख्या दर्शाते हैं ।

भाग - II कूट संख्या को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है, चाहे 'बैंकों'की श्रेणी कुछ भी क्यों न हों,

- बाएं से पहले तीन अंक जिला कूट संख्या दर्शाते हैं ।
- अगले तीन अंक जिले के भीतर केंद्र कूट संख्या दर्शाते हैं ।
- अंतिम एकल अंक जनसंख्या विस्तार सीमा कूट संख्या दर्शाता है ।

जनसंख्या विस्तार सीमा कूट संख्या तथा जनसंख्या समूह कूट संख्या के बीच का संबंध नीचे दर्शाया गया है :

एकसमान कूट संख्या (जनसंख्या विस्तार सीमा कूट संख्या) के भाग - II का अंतिम अंक	जनसंख्या विस्तार सीमा	जनसंख्या समूह	जनसंख्या समूह कूट संख्या
1	4999 तक	ग्रामीण	1
2	5000 से 9999 तक		
3	10000 से 19,999	अर्धशहरी	2
4	20,000 से 49,999		
5	50,000 से 99,999		
6	1,00,000 से 1,99,999	शहरी	3
7	2,00,000 से 4,99,999		
8	5,00,000 से 9,99,999		
9	10 लाख तथा उससे अधिक	महानगर	4

**मद सं. 2 (क) :**

शाखा /कार्यालय /ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, का नाम लिखना चाहिए ।

**मद सं. 2 (ख) :**

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए प्राधिकार /अनुमोदन पत्र की संदर्भ सं. तथा तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

**मद सं. 2 (ग) :**

लाइसेंस सं. यदि पहले से ही उपलब्ध है (भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त किये गये अनुसार) तो लिखनी है, अगर उपलब्ध नहीं है तो उसे एकसमान कूट संख्याओं के साथ बाद में संप्रेषित किया जाना चाहिए ।

**मद सं. 2 (घ) :**

लाइसेंस की सही तारीख (माह तथा वर्ष सहित) दर्शाई जानी है ।

**मद सं. 2 (ङ) :**

यदि शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, लाइसेंस जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद खोला गया है तो कृपया दर्शाएं कि क्या

लाइसेंस का पुनर्वैधीकरण किया गया था अथवा नहीं, तथा यदि पुनर्वैधीकरण किया गया था तो उसकी तारीख का उल्लेख करें ।

**मद सं. 3 :**

खोलने की सही तारीख, माह तथा वर्ष लिखें ।

**मद सं. 4.1 से 4.3 तथा 4.6 से 4.8**

नाम/संख्याएं/कूट संख्याएं उचित मद संख्या के समक्ष लिखें । मद सं. 4.3 (ख) के समक्ष पिन कोड दर्शाएं । मोबाइल कार्यालय तथा मोबाइल एटीएम के संबंध में आधार शाखा / कार्यालय का विस्तृत पता रिपोर्ट करें ।

**मद सं. 4.4 :**

जहां शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है स्थित है, उस इलाके के सही स्थान का नाम बताएं । यदि शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, किसी गाँव में खोला गया है तो उस गाँव का नाम ही इलाके का नाम होगा । मोबाइल कार्यालय अथवा मोबाइल एटीएम के मामले में आधार शाखा /कार्यालय के संबंधित ब्योरे दिए जाएं ।

**मद सं. 4.5 तथा 5 (ख) :**

मद 5 (क) में दिये गये केंद्र के नाम के संदर्भ में तहसील /तालुका /उप-प्रभाग तथा सामुदायिक विकास खंड के नाम क्रमशः मद सं. 4.5 तथा 5 (ख) के सामने दर्शाएं ।

महानगरीय केंद्रों के मामले में यह लागू नहीं होगा ।

मोबाइल कार्यालय अथवा मोबाइल एटीएम के मामले में आधार शाखा /कार्यालय के संबंधित ब्योरे दिये जाने चाहिए ।

**मद सं. 5 (क) :**

मद सं.4.4 में उल्लिखित इलाका जिस गांव/शहर/नगर/नगरपालिका/नगरपालिका निगम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है उसका नाम लिखें। उस गांव का नाम लिखें अगर शाखा/कार्यालय/ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, ऐसे गांव में खोला गया है जो कि राजस्व यूनिट/केंद्र है । मोबाइल कार्यालय अथवा मोबाइल एटीएम के मामले में आधार शाखा/कार्यालय के संबंधित ब्योरे किये जाने चाहिए ।

**सावधानी :**

यदि मद सं. 5 (क) में केंद्र का नाम सही नहीं लिखा है तो गलत भाग - II कूट संख्या के साथ शाखा /कार्यालय / ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय नहीं है, का गलत वर्गीकरण हो सकता है । मद सं. 4.4 तथा 5 (क) के समक्ष पंचायत / खंड /तहसील /जिले आदि का नाम तब तक नहीं आना चाहिए जब तक शाखा /कार्यालय / ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, पंचायत /खंड /तहसील /जिले के मुख्यालय में स्थित न हो ।

**मद सं. 5 (ड) : (मद सं. 5 (क) भी देखें )**

शाखा / कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है,जहां स्थित है उस केंद्र (राजस्व यूनिट) की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के नवीनतम आंकड़े दें । पूर्ण पंचायत /खंड /तहसील /जिले आदि की जनसंख्या को विचार में न लें । राजस्व केंद्र की जनसंख्या जनगणना हैण्डबुक /स्थानीय जनगणना प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्रशासन जैसे - जिला कलेक्टर /तहसीलदार / खंड विकास अधिकारी आदि से प्राप्त की जा सकती है और इस आशय का प्रमाणपत्र (मूल रूप में) जिसमें निम्नलिखित दो पहलू शामिल हैं, संबंधित स्थानीय प्रशासन से प्राप्त कर प्रेषित किया जाए :

- (i) संदर्भाधीन शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, जहाँ स्थित है उस राजस्व केंद्र का नाम ।
- (ii) नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उक्त राजस्व केंद्र की जनसंख्या ।

#### **मद सं. 6 :**

कोई भी कार्यालय प्रशासनिक रूप से तब स्वतंत्र है, जब वह अलग खाता बहियाँ रखता है और उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को एक अथवा अधिक बीएसआर विवरणियां प्रस्तुत करनी पड़ती हैं । यदि उपर्युक्त मद सं. 5 (क) में उल्लिखित केंद्र (राजस्व यूनिट) में किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा किसी अन्य वाणिज्य /सहकारी बैंक की कोई प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र शाखा /कार्यालय नहीं है जिसकी सीमा के अंदर नई शाखा /कार्यालय स्थित है तो 'नहीं' के समक्ष सही (4) का निशान लगाएं, अन्यथा 'हां' के समक्ष सही (4) का निशान लगाएं ।

#### **मद सं. 7 (क) :**

विभिन्न प्रकार (व्यावसायिक स्थिति ) की शाखाओं /कार्यालयों /ऐसे कार्यालयों जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं के नाम तथा संबंधित कूट संख्याएं नीचे I से IV श्रेणियों में सूचीबद्ध की गयी हैं । समुचित स्थिति का नाम तथा तदनुस्वी कूट संख्या लिखी जानी चाहिए ।

चूँकि सूची व्यापक नहीं है, इसलिए कृपया कार्यालय /शाखा /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है की सही स्थिति "कोई अन्य शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है" श्रेणी के अंतर्गत दें :

#### **I. प्रशासनिक कार्यालय के मामले में**

<u>कूट सं.</u>	<u>स्थिति का नाम</u>
(01)	पंजीकृत कार्यालय
(02)	केंद्रीय /मुख्य कार्यालय / प्रधान कार्यालय
(03)	स्थानीय मुख्य कार्यालय
(04)	क्षेत्रीय कार्यालय /क्षेत्र कार्यालय /अंचल कार्यालय /मंडल कार्यालय / परिमंडल कार्यालय
(05)	निधि प्रबंधन कार्यालय
(06)	अग्रणी बैंक कार्यालय
(07)	प्रशिक्षण केंद्र
(09)	कोई अन्य प्रशासनिक कार्यालय (जो ऊपर शामिल न किया गया हो, कृपया स्पष्ट करें)

## II. सामान्य बैंकिंग शाखा के मामले में

<u>कूट सं.</u>	<u>स्थिति का नाम</u>
(10)	सामान्य बैंकिंग शाखा

## III. विशेषीकृत शाखा के मामले में

- (क) कृषि विकास/वित्त शाखाएं
- (11) कृषि विकास शाखा (एडीबी)
- (12) विशेषीकृत कृषि वित्त शाखा हाइ-टेक (एसएएफबी हाइ-टेक)
- (13) कृषि वित्त शाखा (एएफबी)
- (ख) लघु उद्योग /लघु उद्योग तथा लघु कारोबार शाखाएं
- (16) लघु कारोबार विकास शाखा /कार्यालय
- (17) लघु उद्योग शाखा (एसएसआइ)
- (18) लघु उद्योग तथा लघु कारोबार शाखा (एसआइबी)

## (ग) औद्योगिक /कंपनी वित्त /बड़े अग्रिम शाखाएं

- (21) औद्योगिक वित्त शाखा (आइएफबी)
- (22) कंपनी वित्त शाखा (सीएफबी)
- (23) किराया खरीद तथा पट्टादायी वित्त शाखा
- (24) औद्योगिक खाता शाखा
- (25) बड़े अग्रिम शाखा
- (26) कारोबार वित्त शाखा
- (27) मध्यम कंपनी (मिड कॉर्पोरेट) शाखा



- (घ) परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन / औद्योगिक पुनर्व्यवस्था शाखाएं
- (30) परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन सेवा शाखा  
(एआरएमएस)
- (31) औद्योगिक पुनर्व्यवस्था शाखा
- (ङ) पूंजी बाजार/अभिरक्षक सेवाएं मर्चेंट/व्यापारिक (मर्कटाइल) बैंकिंग शाखाएं
- (35) पूंजी बाजार सेवा शाखा (सीएमएस)
- (36) अभिरक्षक सेवा शाखा
- (37) मर्चेंट बैंकिंग शाखा
- (38) मर्कटाइल बैंकिंग शाखा
- (च) विदेशी / अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग कार्यालय / शाखाएं
- (41) अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग कार्यालय / शाखाएं
- (42) विदेशी शाखा
- (43) अंतर्राष्ट्रीय कारोबार शाखा / कार्यालय / केंद्र
- (44) अंतर्राष्ट्रीय विनिमय शाखा
- (छ) वाणिज्य / व्यक्तिगत बैंकिंग शाखाएं
- (47) अनिवासी भारतीय (एनआरआई) शाखा
- (48) आवास वित्त शाखा
- (49) व्यक्तिगत बैंकिंग सेवा शाखा
- (50) उपभोक्ता वित्त शाखा
- (51) विशेषीकृत बचत शाखा
- (52) वाणिज्य तथा व्यक्तिगत बैंकिंग शाखा
- (53) विशेषीकृत वाणिज्य शाखा
- (54) ड्राफ्ट अदाकर्ता (पेइंग) शाखा
- (55) व्यावसायिक (प्रोफेशनल्स) शाखा
- (56) लॉकर शाखा
- (57) विशेषीकृत व्यापार शाखा
- (58) डायमंड शाखा
- (59) आवास वित्त व्यक्ति बैंकिंग शाखा
- (ज) वसूली तथा अदायगी / शीघ्र (तेज) सेवा / एसटीएआरएस (स्टार्स) शाखाएं
- (63) सेवा शाखा / समाशोधन शाखा / कक्ष
- (64) वसूली तथा अदायगी सेवा शाखा
- (65) शीघ्र वसूली शाखा
- (66) तेज सेवा शाखा
- (67) शीघ्र अंतरण तथा वसूली सेवा (स्टार्स) शाखा

(झ) अन्य प्रकार की विशेषीकृत शाखाएं

- (71) राजकोष शाखा (सरकारी कारोबार)
- (72) शेयर बाजार (स्टॉक एक्सचेंज) शाखा
- (73) ऑटो-टेक शाखा
- (74) निधि अंतरण सेवा (एफटीएस) शाखा
- (75) कमजोर वर्ग शाखा
- (76) सुरक्षा सेवा शाखा
- (77) विशेषीकृत महिला उद्यमी शाखा
- (78) विशेषीकृत नकदी प्रबंधन सेवा शाखा
- (79) स्व-सहायता समूहों के लिए माइक्रो सेफ शाखा
- (80) विशेषीकृत शाखा/कार्यालय की कोई अन्य श्रेणी  
(ऊपर शामिल न की गयी, कृपया स्पष्ट करें)

IV. ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं के मामले में

- (85) विस्तार पटल
- (86) अनुषंगी कार्यालय
- (87) मोबाइल कार्यालय
- (88) सेवा शाखा \*
- (89) मोबाइल एटीएम
- (90) ऑन-साइट एटीएम
- (91) ऑफ -साइट एटीएम
  
- (92) प्रतिनिधि कार्यालय
- (93) विनिमय ब्यूरो
- (99) ऐसे कोई अन्य कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं  
(ऊपर शामिल न किये गये, कृपया स्पष्ट करें)

\* यदि वह अलग खाता-बही नहीं रखती है

मद सं. 7 (ख) :

जो कार्यालय प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, उनमें अलग खाता बहियां नहीं रखी जाती हैं और उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक को बीएसआर विवरणियां प्रस्तुत नहीं करनी पड़ती हैं। ऐसे कार्यालय उस आधार शाखा /कार्यालय का नाम तथा उसकी एकसमान कूट संख्याएं दें जिनके साथ उन कार्यालयों, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं (एनएआइओ) के खाते रखे जाएंगे।

मद सं. 8 (ii) (क) (घ) :

नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से उचित कूट संख्या दर्शाएं :

कूट संख्या	क्षेत्र प्रकार
(0)	सामान्य क्षेत्र
(1)	सीमा क्षेत्र
(2)	उपद्रवग्रस्त क्षेत्र (अधिक जोखिम )
(3)	प्राकृतिक विपत्तियों (बाढ़ /भूकंप प्रवण क्षेत्र आदि) से प्रभावित क्षेत्र
(4)	हिमपात आदि के कारण पर्याप्त परिवहन सुविधा से रहित क्षेत्र

टिप्पणी : अधिक स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित से संपर्क अथवा पत्राचार करें :

निदेशक  
 बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग  
 सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग  
 भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय  
 सी - 9, छठी मंज़िल, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स  
 बांद्रा (पूर्व)  
 मुंबई - 400 051  
 फोन नं : (022) 2657 1086  
 फैक्स : (022) 2657 0847 / 2657 2319

#### अनुबंध -क

#### प्रोफार्मा -I और II के लिय अनिवार्य मदों की सुची

#### प्रोफार्मा -I के लिय अनिवार्य मदों की सुची

1. बैंक का नाम
2. शाखा भाग -I कोड (सरकारी क्षेत्र के बैंको के मामले में)
3. शाखा नका नाम
4. लाईसंस की तारीख/संदर्भ की तारीख
5. लाईसंस संख्या/संदर्भ संख्या
6. खोलने की तारीख
7. पुनर्वैधिकरण की तारीख ( यदि अवश्यक हो तो)
8. पिनकोड साहित पूर्ण पता
9. केन्द्र का नाम
10. \* सामुदायिक विकास खंड/विकास खंड/तहसील/तालुका/उप-  
प्रभाग/माडल/पुलिस थाना/जिला का नाम
11. जिला का नाम
12. राज्य का नाम

13. कारोबार की स्थिति
14. कारोवार का स्वस्थ
15. ए.डी वर्ग (कारोवार के स्वस्थ के संदर्भ में)
16. सी वर्ग की शाखा के मामले में संपर्क कार्यालय का ब्योरा

### प्रोफार्मा -II की अनिवार्य मदें

#### शाखा पहचानने हेतु आवश्यक क्षेत्र

1. बैंक का नाम
2. शाखा का नाम -I कोड

#### अनिवार्य मदें

3. शाखा का नाम
4. शाखा कार्यालय/एन ए आइ औ की स्थिति
5. कारोवार का स्वस्थ
6. ए डी वर्ग ( कारोबार के स्वस्थ के संदर्भ में)
7. सी वर्ग की शाखा के मामले में संपर्क कार्यालय का ब्योरा
8. पिनकोड सहित पुर्ण पता
9. केन्द्र का नाम
10. \* सामुदायिक विकास खंड/विकास खंड/तहसील/तालुका/उप-  
प्रभाग/माडल/पुलिस थाना/जिला का नाम
11. प्रशासनिक स्थ से स्वतंत्र /प्रशासनिक स्थ से स्वतंत्र नहीं कार्यालय
12. बंद हुये/विलयम/परिवर्तन का ब्योरा
13. यदि एन.ए.आइ/ओ आधार शाखा में परिवर्तित किया गया तो उसका ब्योरा
14. यदि विलयम हो तो एस शाखा का ब्योरा जिस में विलयम किया गया है ।
15. यदि बंद हुआ तो बंद होने की तारीख

प्रोफार्मा -II के मामले में सभी परिवर्तनों के लिये परिवर्तन की तारीख अनिवार्य है तथा वह निर्दिष्ट की जानी चाहिए ।

\*नगरपालिका /नगरपालिका बोर्ड/नगर निगम/नगर का क्षेत्र/ छावनी बोर्ड आदि में कवर न किए गए केन्द्रों के लिए ।

### अनुबंध -ख

31 मार्च 2005 को कार्यात उन कार्यालयों ( अस्थायी कार्यालय) की सुची जो अप्रशासनिक स्तर से स्वतंत्र नहीं हैं ।

क्र.सं.	बैंक का नाम	आधार शाखा भाग - I कोड	एनएअइओ का नाम	लाइसेंस न.	लाइसेंस की तारीख	खोलने की तारीख	कारोबार की स्थिति	भवन	मार्ग	डाकधर	पिन कोड	क्षेत्र	केन्द्र का नाम	विकास खंड का नाम	जिले का नाम	राज्य का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

#### \*\*\*एनएआइओ की कारोबार स्थिति

#### कूट कारोबार स्थिति का स्वस्थ

85	विस्तार काउंटर
86	अनुषंगी कार्यालय
87	मोबाईल कार्यालय
88	सेवा शाखा #
89	मोबाईल एटीएम
90	ऑन - साईट एटीएम
91	ऑफ - साईट एटीएम
92	प्रतिनिधि कार्यालय
93	विनिनय ब्युरो
99	कोई अन्य एनएआइओ(जो उपर शामिल नहीं )

# यदि यह प्रशासनिक स्तर से स्वतंत्र नहीं है ।

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
1.	भारिबैं/2009-2010/306 ग्राआरवि.केका.आरआरबी.सं .बीसी. 54/03.05.90ए/2009-10	05.02.2010	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय खोलने हेतु नीति
2.	भारिबैं/2008-09/504 ग्राआरवि.केका.आरआरबी.बी सी. सं.114/03.05.90- ए/2008-09	18.06.2009	"नियंत्रक कार्यालय" का क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर में पुनर्नामकरण - क्षेत्राबैंक
3.	भारिबैं/2008-09/468 ग्राआरवि.केका.आरआरबी.बी सी. सं.101/03.05.90- ए/2008-09	04.05.2009	"नियंत्रक कार्यालय" का क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर में पुनर्नामकरण - क्षेत्राबैंक
4.	भारिबैं/2008-09/285 ग्राआरवि.केका.आरआरबी.बी सी. सं.61/03.05.90- ए/2008-09	17.11.2008	वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा - शाखा लाइसेंसिंग - क्षेत्राबैं - आगे और उदारीकरण - नई शाखाएं खोलने की शर्तें
5.	ग्राआरवि.केका.आरआरबी.सं .बीसी.28/03.05.90- ए/2007-08	09.10.2007	समामेलित क्षेत्राबैंकों द्वारा नियंत्रक कार्यालय खोलना
6.	ग्राआरवि.केका.आरआरबी.सं . बीसी.25/03.05.90- /2007-08	21.09.2007	क्षेत्राबैंकों की शाखाओं का खोला जाना, स्थलांतरण और परिवर्तन - सेवा क्षेत्र दायित्वों से मुक्ति
7.	ग्राआरवि.केका.आरआरबी.सं . बीसी.24/03.05.90- ए/2007-08	13.09.2007	सेटेलाइट कार्यालयों का परिपूर्ण शाखा में परिवर्तन
8.	ग्राआरवि.केका.आरआरबी.सं .बीसी22/03.05.90-ए/ 2007-08	04.09.2007	क्षेत्राबैंकों द्वारा विस्तार काउंटर खोलना

9.	ग्राआरूवि.केका.आरआरबी.सं .बीएल.बीसी.09/03.05.90- ए/ 2007-08	02.07.2007	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसिंग पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
10.	ग्राआरूवि.केका.आरआरबी.सं .बीसी.105/03.05.90-ए/ 2006-07	22.06.2007	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसिकरण पर मास्टर परिपत्र -क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
11.	ग्राआरूवि.केका.आरआरबी. सं.बीसी. 102/03.05.90-ए/ 2006-07	15.06.2007	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसिकरण पर मास्टर परिपत्र -क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
12.	ग्राआरूवि.आरआरबी.बीएल.ब ीसी.90/03.05.90- ए)/2005-06	13.06.2006	वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शाखा लाइसेंसिकरण नीति को उदार एवं आसान बनाना
13.	ग्राआरूवि.आरआरबी.बीएल. बीसी.57/03.05.33(एफ)/ 2005-06	27.12.2005	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए विशेष पैकेज
14.	ग्राआरूवि.आरआरबी.सं. बीएल.बीसी. 10/03.05.90- ए/2005-06	06.07.2005	शाखा बैंकिंग सांख्यिकी-तिमाही विवरणियाँ प्रस्तुत करना - प्रोफार्मा I और II का संशोधन
15.	डीबीओडी.बीसी.सं.23/ 22.01.001/2000-01	12.9.2000	शाखाओं/विस्तार काउन्टरों का खोला जाना/स्थान परिवर्तन/ पहले लाइसेंस प्राप्त करना
16.	डीबीओडी.बीसी.सं. 127/ 12.05.005/99-2000	30.11.1999	बैंकों द्वारा भारिबैं को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों का औचित्य
17.	डीबीओडी.सं.बीसी.74/ 22.01.001/98	29.07.1998	ब्लॉक/सेवा क्षेत्र से बाहर ग्रामीण शाखाओं का स्थान परिवर्तन
18.	डीबीओडी.सं.बीएल.बीसी. 115/ 22.06.001/97	21.10.97	शाखा बैंकिंग आंकड़े - मासिक विवरणियों की प्रस्तुति - प्रोफार्मा II और III का संशोधन

19.	ग्राआऋवि.आरआरबी.सं. बीसी. 111/03.05.65/96- 97	22.3.97	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा शाखाएँ खोलना
20.	डीबीओडी.सं.बीसी.64/ 22.01.001/95	5.6.95	हानिवाली शाखाओं की पुनर्स्थापना तथा क्षेत्रबैंकों के शाखा नेटवर्क का औचित्य